मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XX अंक 10 जनवरी 2025

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. विनियमन	1-2
II. विदेशी मुद्रा	2
III. वित्तीय बाजार	2
IV. पर्यवेक्षण	3
V. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण	3
VI. फिनटेक	3
VII. सूचकांक	3
VIII. सरकार का ऋण प्रबंधक	3
IX. सांख्यिकी और सूचना	3-4
X. प्रकाशन	4
XI. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फोर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के जनवरी 2025 संस्करण में आपका स्वागत है, जिसमें एक आघात-सह घरेलू वित्तीय प्रणाली के निर्माण और वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता और ऋण का सामर्थ्य सुनिश्चित करने में बैंक के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है।

हम तथ्यपरक सटीक सूचना निरंतर साझा करने, गहन समझ को बढ़ावा देने और संपर्क में बने रहने के अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

पुनीत पंचोली
संपादक

I. विनियमन

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने 27 जनवरी 2025 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ मुंबई में बैठक की। यह बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक की अपनी पर्यवेक्षित संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ निरंतर बातचीत का भाग है। बैठकों में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ विनियमन और पर्यवेक्षण के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए। गवर्नर ने अपने आरंभिक भाषण में घरेलू वित्तीय प्रणाली को आघात-सह बनाने में बैंकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा, साथ ही वैश्विक स्तर पर मौजूद कतिपय मुख्य असुरक्षितताओं पर प्रकाश डाला, जो अधोगामी जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं। उन्होंने बैंकों से निरंतर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, वित्तीय समावेशन को गहन बनाने, डिजिटल साक्षरता में सुधार करने, ऋण की उपलब्धता बढ़ाने और किफ़ायती बनाने, ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी में निवेश जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि पर भी चिंता जताई और बैंकों को ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए मजबूत और सक्रिय प्रणाली स्थापित करने के लिए कहा। आईटी जोखिम प्रबंधन और साइबर सुरक्षा पर चर्चा करते हुए, गवर्नर ने बैंकों से तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं पर अधिक निगरानी रखने का आग्रह किया ताकि उनसे उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम किया जा सके। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

दि नैशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर का कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 जनवरी 2025 को दि नैशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (कर्नाटक) का कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 6 जनवरी 2025 से लागू होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ऋण सूचना रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 जनवरी 2025 को मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025 जारी किया। इस मास्टर निदेश में रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं (आरई) को जारी किए गए ऋण सूचना रिपोर्टिंग और प्रसार पर मौजूदा अनुदेशों को समेकित किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

सहकारी बैंकों के वित्तीय विवरणों के प्रारूपों का मसौदा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 जनवरी 2025 को सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते के संकलन के लिए प्रारूप और अनुदेशों का मसौदा जारी किया, जिनमें अद्यतन मानकों और पद्धतियों को समाहित किया गया है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 29 के अनुसार सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्रों में वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता तैयार करना आवश्यक है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एनबीएफ़सी के विरुद्ध कार्रवाई

रिज़र्व बैंक ने 3 जनवरी 2025 को आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड की सुधारात्मक कार्रवाइयों और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ-साथ बेहतर प्रक्रियाओं और प्रणालियों को अपनाने के बाद स्थिति की समीक्षा की और कंपनी द्वारा विनियामक दिशानिर्देशों, विशेष रूप से ऋण मूल्य निर्धारण निष्पक्षता के संबंध में अनुपालन करने की प्रतिबद्धता से संतुष्ट होकर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक ने 8 जनवरी 2025 को कंपनियों की प्रस्तुतियों और उनके द्वारा संशोधित प्रक्रियाओं, प्रणालियों को अपनाने तथा निरंतर आधार पर विनियामक दिशानिर्देशों, विशेषकर ऋण मूल्य निर्धारण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, का पालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनियों की प्रतिबद्धता के आधार पर आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड दोनों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 9 जनवरी 2025 को दस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उन्हें दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण कर दिया है। आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनके सीओआर को रद्द कर दिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 जनवरी 2025 को दस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने 21 जनवरी 2025 को एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रद्द कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

स्केल आधारित विनियमन के अंतर्गत ऊपरी स्तर में एनबीएफसी

रिज़र्व बैंक ने 16 जनवरी 2025 को वर्ष 2024-25 के लिए एनबीएफ़सी के लिए स्केल आधारित विनियमन के तहत ऊपरी स्तर में एनबीएफ़सी की सूची जारी की। ढांचे के अनुसार, एक बार जब किसी एनबीएफसी को एनबीएफसी-यूएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो यह इस स्तर में इसके वर्गीकरण से कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ी हुई विनियामक अपेक्षाओं के अधीन होगा, भले ही यह अगले वर्ष/ वर्षों में पैरामीट्रिक मानदंडों को पूरा न करता हो। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन

रिज़र्व बैंक ने 17 जनवरी 2025 को सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) को मृतक जमाकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को असुविधा से बचने के लिए सभी जमा खातों, सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं और सुरक्षा लॉकरों के लिए नामांकन प्राप्त करने हेतु सूचित किया। यह देखा गया है कि कई जमा खातों में नामांकन नहीं है और बैंकों को इस सुविधा के लाभों का प्रचार करने और सभी मौजूदा एवं नए ग्राहकों के बीच इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक बैंक की ग्राहक सेवा समिति द्वारा समय-समय पर नामांकन कवरेज की समीक्षा की जाए और 31 मार्च 2025 से DAKSH पोर्टल पर प्रगति की रिपोर्ट दी जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

एआरसी द्वारा उधारकर्ताओं के बकाये के निपटान संबंधी दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 20 जनवरी 2025 को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के उधारकर्ताओं द्वारा देय बकाया राशि के निपटान संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया। इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी संशोधित प्रावधान, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 9 और 12 के अंतर्गत जारी किए गए हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

चलनिधि स्थिति को प्रबंधित करने के उपाय

रिज़र्व बैंक ने 27 जनवरी 2025 को विभिन्न परिचालनों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि डालने की योजना की घोषणा की: 30 जनवरी, 13 फरवरी और 20 फरवरी 2025 को ₹20,000 करोड़ के तीन चरणों में भारत सरकार की प्रतिभूतियों की ₹60,000 करोड़ की ओएमओ खरीद नीलामी; 7 फरवरी 2025 को ₹50,000 करोड़ के लिए 56-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी; और 31 जनवरी 2025 को छह महीने की अवधि के लिए 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

एचएफसी के साथ एनसीडी का निजी नियोजन

रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2025 को आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) द्वारा गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के निजी नियोजन के लिए दिशानिर्देशों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करने का निर्णय लिया, जैसा कि मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 के पैराग्राफ 58 में उल्लिखित है। संशोधित दिशा-निर्देश एचएफसी द्वारा एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले एनसीडी के सभी नए निजी नियोजन पर लागू होंगे, जोकि इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी होंगे। मास्टर निदेश को तदनुसार अद्यतन किया जा रहा है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विदेशी मुद्रा

फेमा विनियमों का उदारीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार के परामर्श से आईएनआर और स्थानीय/राष्ट्रीय मुद्राओं में सीमा-पारीय लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा फेमा, 1999 विनियमों की समीक्षा और उसमें संशोधन किया है। इन परिवर्तनों से अधिकृत डीलर बैंकों की विदेशी शाखाओं को भारत में निवासियों के साथ चालू और पूंजी खाता लेनदेन निपटान हेतु गैर-निवासियों के लिए आईएनआर खाते खोलने की अनुमति प्राप्त होती है। गैर-निवासी अपने प्रत्यावर्तनीय आईएनआर खाता, जैसे विशेष अनिवासी रुपया खाता और एसआरवीए, शेष का उपयोग अन्य गैर-निवासियों के साथ लेनदेन निपटान और गैर-ऋण लिखतों में एफ़डीआई सहित विदेशी निवेश के लिए भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय निर्यातकों को निर्यात आय प्राप्त करने और आयात के लिए भुगतान करने सहित व्यापार लेनदेन निपटान के लिए विदेश में विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति है। इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए संशोधित विनियम जारी किए गए हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. वित्तीय बाजार

भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण लिखतों में अनिवासी निवेश) निदेश, 2025

रिज़र्व बैंक ने 7 जनवरी 2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 6 और 47 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत भारत में ऋण लिखतों में अनिवासी निवेश को विनियमित करने के लिए विनियम जारी किए। इनमें विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन) विनियमन, 2000; विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना और उधार देना) विनियमन, 2018; और विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियम, 2019 शामिल हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने ग्राहकों को इस मास्टर निदेश के बारे में सूचित करें, जो फेमा की धारा 10(4) और 11(1) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45डबल्यू के अंतर्गत जारी किया गया है तथा यह अन्य कानूनों के अंतर्गत आवश्यक किसी भी अन्य अनुमति या अनुमोदन को प्रभावित नहीं करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (एसईएसी)

रिज़र्व बैंक ने 20 जनवरी 2025 को यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने हेतु स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (एसईएसी) के सदस्यों की घोषणा की। श्री एम. के. जैन, भूतपूर्व उप गवर्नर, रिज़र्व बैंक एसईएसी की अध्यक्षता करेंगे और इसमें सुश्री रेवती अय्यर, निदेशक, रिज़र्व बैंक केंद्रीय बोर्ड, श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक, रिज़र्व बैंक, श्री हेमंत जी. कॉन्ट्रेक्टर, भूतपूर्व एमडी, एसबीआई एवं भूतपूर्व अध्यक्ष, पीएफआरडीए और श्री एन.एस. कन्नन, भूतपूर्व एमडी एवं सीईओ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जैसे सदस्य शामिल होंगे। समिति को सचिवीय सहायता विनियमन विभाग, रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, इन बैंकों के लिए आवेदनों की पात्रता के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा शुरुआत में जांच की जाती है, जिसके बाद एसईएसी उनका मूल्यांकन करती है।

IV. पर्यवेक्षण

निदेशक मंडल का अधिक्रमण

रिज़र्व बैंक ने 27 जनवरी 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (1) के अंतर्गत और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की सिफारिशों के आधार पर, एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल को अभिशासन संबंधी चिंताओं और भुगतान दायित्वों में चूक के कारण अधिक्रमित कर दिया। श्री राम कुमार, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को धारा 45-आईई (2) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियाँ तथा न्यायनिर्णायन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के अंतर्गत कंपनी के विघटन की प्रक्रिया शुरू करने की योजना है, और प्रशासक को दिवाला विघटन पेशेवर के रूप में नियुक्त करने के लिए एनसीएलटी, नई दिल्ली से मांग करेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

V. ग्राहक शिक्षण और संरक्षण

विनियामक निर्देश और संस्थागत सुरक्षा उपाय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 जनवरी 2025 को विनियमित संस्थाओं (आरई) को अपने ग्राहक डेटाबेस को छांटने और धोखाधड़ी के जोखिमों की निगरानी करने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) से मोबाइल नंबर निरस्तीकरण सूची (एमएनआरएल) का उपयोग करने हेतु सूचित किया। आरई को सत्यापन के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबरों को अपडेट करने और साइबर धोखाधड़ी में उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए निरस्त नंबरों से जुड़े खातों की निगरानी बढ़ाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करनी चाहिए। आरई को "संचार साथी" पोर्टल पर सूचीबद्ध करने के लिए डीओटी को सत्यापित ग्राहक सेवा नंबर प्रदान करने और ट्राई दिशानिर्देशों के अनुसार लेनदेन और प्रचार कॉल के लिए विशिष्ट नंबरिंग श्रृंखला का उपयोग करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आरई को स्थानीय भाषाओं सहित विभिन्न संचार चैनलों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और इन निर्देशों का तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VI. फिनटेक

HaRBInger 2024 – तीसरे संस्करण के परिणाम

रिज़र्व बैंक ने 7 जनवरी 2025 को अपने ग्लोबल हैकाथॉन - HaRBInger 2024 के तीसरे संस्करण के परिणामों की घोषणा की। हैकाथॉन को 534 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 39 अंतरराष्ट्रीय टीमों से थे और इसे तीन चरणों; 70 प्रविष्टियों को शॉर्टलिस्ट करना, समाधान विकास के लिए 28 का चयन करना और अंतिम मूल्यांकन के रूप में आयोजित किया गया। अंतिम मूल्यांकन 2-3 जनवरी 2025 को बेंगलुरु में हुआ, जहाँ फाइनलिस्ट ने एक स्वतंत्र जूरी के सामने अपने समाधान प्रस्तुत किए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

विनियामक सैंडबॉक्स

रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2025 को विनियामक सैंडबॉक्स के 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा के अंतर्गत परीक्षण चरण के लिए एक्स्टो इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के चयन की घोषणा की। कंपनी ने एक ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान समाधान का परीक्षण किया जो ऑफ़लाइन कार्ड टू-कार्ड और कार्ड-टू-फ़ोन लेनदेन की सुविधा के लिए निजी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) का उपयोग करता है। यह नवाचार दोहरे खर्च को रोकने के लिए क्रिप्टोग्राफी, ऑन-कार्ड बायोमेट्रिक सत्यापन और समय-सीमित शेष राशि का उपयोग करता है। उत्पाद को विनियामक सैंडबॉक्स के अंतर्गत स्वीकार्य पाया गया है और इसे लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन, विनियमित संस्थाओं द्वारा अपनाने पर विचार किया जा सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VII. सूचकांक

आरबीआई – सितंबर 2024 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक

रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2025 को सितंबर 2024 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) प्रकाशित किया। सितंबर 2024 के लिए सूचकांक 465.33 है, जबकि मार्च 2024 के लिए 445.5 था, जिसकी घोषणा 26 जुलाई 2024 को की गई थी। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक में वृद्धि इस अवधि में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान निष्पादन में संवृद्धि के कारण हुई। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VIII. सरकार का ऋण प्रबंधक

अस्थिर दर बॉण्ड 2035

रिज़र्व बैंक ने 24 जनवरी 2025 को भारत सरकार अस्थिर दर बॉण्ड 2035 (जीओआई एफआरबी 2035) पर ब्याज दर की घोषणा की, जो 25 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2030 की अवधि के लिए लागू है। घोषणा के अनुसार, जीओआई एफआरबी 2035 की ब्याज दर 6.66 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

IX. सांख्यिकी और जानकारी

ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण

रिज़र्व बैंक ने 6 जनवरी 2025 को अपनी आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) का 68वां दौर शुरू किया। यह सर्वेक्षण अक्तूबर – दिसंबर 2024 (2024-25

की तीसरी तिमाही) की संदर्भ अवधि के लिए है। इस सर्वेक्षण में प्राप्त की जाने वाली सूचना में संदर्भ तिमाही के दौरान प्राप्त किए गए नए आदेशों, तिमाही की शुरुआत में आदेशों का बैकलॉग, तिमाही के अंत में लंबित आदेशों, तिमाही के अंत में तैयार माल, प्रक्रियाधीन और कच्चा माल की सूची के ब्यौरों के साथ कुल माल सूची, लक्षित समूह की स्थापित क्षमता की तुलना में तिमाही के दौरान मात्रा और मूल्य के अनुसार मद-वार उत्पादन पर मात्रात्मक आंकड़े और तिमाही के दौरान उत्पादन / स्थापित क्षमता में बदलाव के कारण शामिल हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

सेवाएं और मूलभूत सुविधा संभावना सर्वेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 जनवरी 2025 को जनवरी - मार्च 2025 की संदर्भ अवधि के लिए तिमाही सेवाएं और मूलभूत सुविधा संभावना सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 44वें दौर की शुरुआत की। यह सर्वेक्षण मांग स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों के आधार पर भारत में सेवाओं और मूलभूत सुविधा क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों की वर्तमान तिमाही (2024-25 की चौथी तिमाही) के लिए कारोबारी स्थिति तथा आगामी तिमाही (2025-26 की पहली तिमाही) के लिए उनकी संभावना का आकलन करता है। इसमें बाद की दो तिमाहियों (2025-26 की दूसरी तिमाही और 2025-26 की तीसरी तिमाही) के लिए प्रमुख मापदंडों से संबंधित संभावना को भी शामिल किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) जनवरी-मार्च 2025

रिज़र्व बैंक ने 15 जनवरी 2025 को जनवरी-मार्च 2025 की संदर्भ अवधि के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के त्रैमासिक औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) के 109वें दौर की शुरुआत की है। इस सर्वेक्षण में वर्तमान तिमाही (2024-25 की चौथी तिमाही) के लिए कारोबारी मनोभाव और आगामी तिमाही (2025-26 की पहली तिमाही) के लिए प्रत्याशाओं का आकलन किया जाता है, जो मांग की स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार की स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों पर आधारित होता है। इसमें बाद की दो तिमाहियों (2025-26 की दूसरी तिमाही और 2025-26 की तीसरी तिमाही) के लिए प्रमुख मापदंडों से संबंधित संभावना को भी शामिल किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

X. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 17 जनवरी 2025 को अपने मासिक बुलेटिन का जनवरी 2025 अंक जारी किया। बुलेटिन में सात आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। सात आलेख इस प्रकार हैं:

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति;
II. मौद्रिक नीति संचार को मापना: भारतीय अनुभव;
III. विदेशी मुद्रा मध्यक्षेप: भारतीय अनुभव में प्रभावकारिता और समझौताकारी समन्वयन;
IV. भारत 2.0 के लिए संतुलनकारी विनिमय दरों का अनुमान लगाने के लिए दृष्टिकोणों का एक समूह;
V. भू-राजनीतिक जोखिम और भारत में व्यापार और पूंजी प्रवाह;
VI. भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्टॉक और निधियों का प्रवाह 2022-23;
VII. राजकोषीय-मुद्रास्फीति संबंध: क्या कोई फीडबैक लूप है?

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

ओम्बड्समैन योजना, 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 जनवरी 2025 को 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए ओम्बड्समैन योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। वार्षिक रिपोर्ट में रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के अंतर्गत गतिविधियों के साथ-साथ उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण में वर्ष के दौरान प्रमुख विकास और आगे की राह को शामिल किया गया है। रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के अंतर्गत ओम्बड्समैन योजना 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष के दौरान आरबीआई ओम्बड्समैन के 24 कार्यालयों (ओआरबीआईओ), केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) और संपर्क केंद्र (सीसी) की गतिविधियों की जानकारी प्रदान करती है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, दिसंबर 2024

रिज़र्व बैंक ने 27 जनवरी 2025 को भुगतान प्रणाली रिपोर्ट - दिसंबर 2024 प्रकाशित की। यह रिपोर्ट, वर्ष 2024 तक पिछले पाँच कैलेंडर वर्षों के दौरान भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके किए गए भुगतान लेनदेन की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के अलावा, भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण गतिविधियों को शामिल करती है और यूपीआई का गहन विश्लेषण प्रदान करती है। इसके बाद, रिपोर्ट को अर्धवार्षिक आधार पर रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में, भारत में डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व संवृद्धि देखी गई है, जो एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की शानदार प्रगति और उपलब्ध डिजिटल भुगतान विकल्पों की अधिकता से प्रेरित है। नवोदित डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें ज़्यादातर पारंपरिक कार्ड आधारित डिजिटल भुगतान शामिल थे, से यह एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में बदल गया है जो भारतीय उपभोक्ता की हर ज़रूरत को पूरा करने वाले डिजिटल भुगतान विकल्पों की एक शृंखला - तत्काल भुगतान प्रणाली (यूपीआई, आईएमपीएस), छोटे मूल्य भुगतान प्रणाली (पीपीआई, यूपीआई लाइट), बड़े मूल्य का भुगतान (आरटीजीएस), बिल भुगतान (बीबीपीएस), थोक भुगतान (एनएसीएच), ऑफ़लाइन भुगतान (यूपीआई लाइट एक्स), सरकारी भुगतान (एनएसीएच, एपीबीएस), टोल भुगतान (एनईटीसी) और कई अन्य प्रदान करता है विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

XI. जारी आंकड़े

जनवरी 2025 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र.	आंकड़े
1	दिनांक 10 जनवरी 2025, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	दिसंबर 2024 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
3	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा ब्याज दरें – जनवरी 2025
4	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – दिसंबर 2024
5	दिसंबर 2024 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े

पुनीत पंचोली द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।